

# वृद्धों के लिए योजनाएं

## क) राज्य योजनाएँ

### 1. वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र (Senior Citizen Identity Cards)

#### उद्देश्य

वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/ सुविधों का लाभ देने।

#### प्रक्रिया

वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेगन देना होगा जिसके साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र स्थाई पते का प्रमाण तथा 20/-रु0 (कार्ड की कीमत) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम जमा करवाने होंगे।

#### सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र।

### 2. वृद्धों के लिए आश्रम (Homes for Aged)

#### उद्देश्य

बेसहारा वृद्धों को आश्रय देना।

#### पात्रता

60 वर्ष से अधिक आयु के बेसहारा वृद्ध।

#### सहायता

विभाग के द्वारा पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं को वृद्ध आश्रम संचालन हेतु 90 प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाता है।

#### अनुदान से संचालित आश्रम

प्रदेश में विभागीय अनुदान से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर वृद्ध आश्रम चलाये जा रहे हैं:-

- (1) हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड शिमला वृद्ध आश्रम बसन्तपुर (शिमला)
- (2) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला वृद्ध आश्रम गरली (कांगड़ा)
- (3) बल्ह वैली कल्याण सभा भगरोट्ट वृद्ध आश्रम भगरोट्ट (मण्डी)

## ख) केन्द्रीय योजनाएं

### 1. वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons)

#### उद्देश्य

वृद्ध व्यक्तियों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा तथा मनोरंजन इत्यादि की मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करवाना।

### पात्रता

पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थायें, चैरिटेबल हस्पताल, पंचायती राज संस्थान/स्थानीय निकायें इत्यादि अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

### सहायता

इस योजना के अन्तर्गत वृद्ध आश्रमों, बहुउद्देश्य सेवा केन्द्र डे-केयर केन्द्रों मोबाईल केयर युनियट्स हेल्प लाईनज इत्यादि के रखाव के लिए 90:10 में वित्तीय सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

### सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार [www.socialjustice.nic.in](http://www.socialjustice.nic.in)

## 2.अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana)

### उद्देश्य

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कोई भी पेंशन न मिल रही हो, उन्हें अन्न सुरक्षा प्रदान करना है।

### पात्रता

65 वर्ष से अधिक आयु बेसहारा व्यक्ति जिन की आय का कोई साधन न हो तथा बीपीएल परिवार से सम्बन्धित हो व राज्य/केन्द्रीय सरकार से पेंशन धारक न हो।

### सहायता

प्रति माह 10 किलो ग्राम खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है।